बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

संकल्प

संचिका सं0–15/आरोप (औरंगाबाद) 02–12/2025–.....(15)/रा0, पटना–15, दिनांक–.....

समाहर्त्ता, औरंगाबाद के पत्रांक–5593, दिनांक–02.12.2024 द्वारा **श्री संतोष कुमार प्रीतम, तत्कालीन राजस्व अधिकारी, औरंगाबाद सदर, औरंगाबाद** के विरुद्ध गैरमजरूआ मालिक खाते की भूमि को रैयती बताकर दाखिल–खारिज हेतु अनुशंसा करने जैसे आरोप प्रतिवेदित है।

2. उक्त प्रतिवेदित आरोपों को विभाग स्तर पर पुनर्गठित करते हुए विभागीय पत्रांक–657(15), दिनांक–28.04.2025 द्वारा श्री प्रीतम से स्पष्टीकरण की मांग की गयी, जिसके आलोक में श्री प्रीतम द्वारा अंचल अधिकारी, इटाढ़ी, बक्सर के पत्रांक–1821 दिनांक–21.05.2025 से अपना स्पष्टीकरण विभाग को समर्पित किया गया।

3. आरोप पत्र में गठित आरोपों एवं आरोपों के संदर्भ में आरोपी पदाधिकारी से प्राप्त स्पष्टीकरण के अवलोकन/समीक्षोपरान्त पाया गया कि आरोपी पदाधिकारी द्वारा दाखिल–खारिज अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए गैर–मजरूआ मालिक खाते की भूमि को रैयती बताकर दाखिल–खारिज हेतु अनुशंसा की गई है एवं इसके लिए जबावदेह कारण के रूप में अपने अधीनस्थ राजस्व कर्मचारियों के प्रतिवेदन को आधार बनाते हुए बचाव का प्रयास किया गया है, जबकि आरोपी पदाधिकारी को सारे अभिलेखीय/स्थलीय साक्ष्यों की जॉच पड़ताल करते हुए प्रश्नगत दाखिल–खारिज वादों की स्वीकृति/अस्वीकृति हेतु अनुशंसा की जानी चाहिए थी, न कि मात्र राजस्व कर्मचारी के प्रतिवेदन के आधार पर। आरोपी पदाधिकारी द्वारा अधीनस्थ कर्मियों पर दोषारोपण करते हुए अपने पदीय उत्तरदायित्व एवं कर्त्तव्य से विमुख होने का प्रयास किया गया है। आरोपी पदाधिकारी द्वारा पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर अथवा अपने निजी स्वार्थवश किसी व्यक्ति विशेष को लाभ पहुँचाने के उद्देश्य से उक्त चूक की गई है, इसलिए आरोपी पदाधिकारी का स्पष्टीकरण स्वीकार योग्य नहीं हैं।

4. श्री प्रीतम का स्पष्टीकरण स्वीकार योग्य नहीं पाये जाने के फलस्वरूप अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा आरोपी पदाधिकारी के विरूद्ध "संचयी प्रभाव के बिना 01(एक) वेतनवृद्धि पर रोक का दण्ड" अधिरोपित करने का निर्णय लिया गया।

5. अतएव आरोप पत्र में अंकित आरोपों एवं आरोपी पदाधिकारी से प्राप्त स्पष्टीकरण के समीक्षोपरान्त अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार श्री संतोष कुमार प्रीतम, तत्कालीन राजस्व अधिकारी, औरंगाबाद सदर, औरंगाबाद **सम्प्रति अंचल अधिकारी, इटाढ़ी, बक्सर** के विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय–समय पर यथा संशोधित) के नियम–14(v) के तहत **"संचयी प्रभाव के बिना 01(एक) वेतन वृद्धि पर रोक का दण्ड"** (आदेश निर्गत की तिथि से) अधिरोपित करते हुए अनुशासनिक कार्रवाई समाप्त की जाती है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/–
(इनायत खान),
विशेष सचिव।

ज्ञापांक–**15/आरोप (औरंगाबाद) 02–12/2025**–.....(15)/रा0, पटना–15, दिनांक–.....

स्पीड–पोस्ट
ई–मेल

प्रतिलिपि :–समाहर्त्ता, बक्सर एवं औरंगाबाद/कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, बक्सर एवं औरंगाबाद/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना **(मूल प्रति में)/** श्री संतोष कुमार प्रीतम, अंचल अधिकारी, इटाढ़ी, बक्सर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/–
(इनायत खान)
विशेष सचिव।

ज्ञापांक–**15/आरोप (औरंगाबाद) 02–12/2025**–786.....(15)/रा0, पटना–15, दिनांक–12/06/2026

प्रतिलिपि :– माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव/कनीय प्रभारी पदाधिकारी, प्रशाखा–3/आई0टी0 मैनेजर (विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशनार्थ), राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. कनीय प्रभारी पदाधिकारी, प्रशाखा–3 से अनुरोध है कि उक्त दण्ड की प्रविष्टि **श्री प्रीतम** के सेवापुस्त में कराते हुए प्रशाखा–15 को अवगत कराने की कृपा की जाए।

9/6

(इनायत खान),
विशेष सचिव।

3